न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री शंकरलाल सालवी , आर.ए.एस.

———

प्रकरण संख्या–89 / 2016 वाद

दिनांक 04–10–2019

अनवान

1. जगदीश पिता भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर
2. सोहनबाई बेवा भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. भेरू पिता भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर (लापता सकुनत–25 वर्षो से)
2. श्रीमति उदीबाई पिता भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर
3. संतोष बाई पिता भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर
4. सरकार जरिये तहसीलदार ,भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर0टी0ए0

उपस्थित– श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,209 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती एवं खातेदारी की आराजीयात वाके ग्राम हाज्याखेडी तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या 59 में अंकित आराजी नम्बर 154, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 176, कुल किता–10 कुल रकबा 5.29 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 24 की आराजी नम्बर 213 रकबा 5.40 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है । साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है ।
2. यह कि वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 के पूर्वज मूल पुरूष का सजरा निम्न प्रकार है :–
3.

Scanned by CamScanner

भगवाना मूल पुरूष

जगदीश	भेरू	उदीबाई	संतोषबाई	सोहनबाई
पुत्र	पुत्र (लापता)	पुत्री	पुत्री	पुत्री

4. यह कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें तथा प्रतिवादी संख्या 01 भेरूलाल जो की वादीगण का भाई व पुत्र है व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का भाई है जो कि 25 वर्षो से लापता है तथा न तो किसी के द्वारा देखा गया है न ही किसी के द्वारा जिन्दा होने की जानकारी दी गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 गत 25 वर्षो से लापता है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एडवर्स पजेशन की धारा 63(1) के तहत भी प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की आराजीयात को अपने नाम घोषित करा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी है ।

5. यह कि किसी भी व्यक्ति को सात वर्ष की अवधि गुजर जाने के बाद भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिन्दा होने की जानकारी दी गई हो या उक्त लापता व्यक्ति को जिन्दा देखा नहीं गया हो तो उस व्यक्ति को कानूनन रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है इसलिए वादीगण व प्रतिवादी संख 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 01 का नाम मौजा हाज्याखेडी तहसील भदेसर में स्थित है जिसकी खाता संख्या 59 व खाता संख्या 24 से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कराने वादीगण व प्रतिवादी संख 02 व 03 कानूनी रूप से अधिकारी है ।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 26.04.2016 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के अथक प्रयास कर काफी तलाश की गई किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 कीं नहीं मिल पाया और अब मिलने की कोई संभावना नीं होने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है तथा उक्त वाद अन्दर अवधि पेश है ।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना है कि वादवर्णित आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे तथा उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को खातेदार घोषित किया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये । प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश हुआ प्रतिवादी संख्या 04 प्रफोर्मा पक्षकार होने से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।

प्रकरण में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा हाज्याखेडी खाता संख्या 59 संवत् 2071–74 प्रदर्श–2
3. नकल जमाबन्दी मौजा हाज्याखेडी खाता संख्या 9 संवत् 2071–74 प्रदर्श–3
4. नकल जमाबन्दी मौजा हाज्याखेडी खाता संख्या 24 संवत् 2071–74 प्रदर्श–4
5. नकल खसरा मौजा हाज्याखेडी खाता संख्या 175 ,213 संवत् 2071–74 प्रदर्श–5
6. नकल खसरा मौजा हाज्याखेडी खाता संख्या संवत् 2071–74 प्रदर्श–6
7. श्री जगदीश खटीक द्वारा थाना भदेसर में पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ को प्रेषित परिवाद दिनांक 08.07.2016 बाबत भेरूलाल पिता भगवानलाल के लापता हो जाने बावत सन् 1990 में थाना भदेसर में रिपोर्ट कराई की प्रति दिलाने जिस पर थाना भदेसर द्वारा बाद जांच व बयानात के शामिल फाईल किया गया की फोटो प्रति ।
8. ब्यान श्री जगदीश पिता भगवाना खटीक निवासी हाज्याखेडी

लायक अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद डिकी किये जाने की इस्तदुआ की ।

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया ।

समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का मत है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 01 भेरू को मृतक घोषित करा भेरू के हक हिस्से की सम्पत्ति आराजी अपने नाम कराना चाहते है । किन्तु किसी भी लापता व्यक्ति जो जिवित होना संभावित है को वैधानिक रूप से मृतक घोषित करने अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है । वादीगण चाहे तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण सारहीन पाया जाने से खारीज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – श्री शंकरलाल सालवी, आर0ए0एस0,

1. जगदीश पिता भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर
2. सोहनबाई बेवा भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। वनाम ।।

1. भेरू पिता भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर (लापता सकुनत–25 वर्षो से)
2. श्रीमति उदीबाई पिता भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर
3. संतोष बाई पिता भगवाना खटीक वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर
4. सरकार जरिये तहसीलदार ,भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर0टी0ए0
प्रकरण संख्या 89/2016

वादी की और से वकील श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया एवं प्रतिवादीगण की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को दिनांक 04–10–2019 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण सारहीन पाया जाने से खारीज किया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 04–10–2019 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner